

परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय

बालवाटिका-1 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

शैक्षणिक वर्ष 2026-27

आरटीई श्रेणी के लिए

(यह प्रपत्र www.aees.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।)

नवीनतम
रंगीन
फोटो
लगाएँ।

प्रवेश प्रपत्र शुल्क: शून्य

कक्षा जिसमें
प्रवेश चाहिए

क्रम.सं.

2026/

आवेदन संख्या. _____ (कार्यालयीन प्रयोग के लिए)

सेवा में

प्रधानाचार्य/समन्वयक प्रधानाचार्य

परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय - _____

केंद्र- _____

SC ST OBC GEN

(उचित बाक्स में (✓) निशान लगाएँ)

महोदय/महोदया,

मैं, मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य को आरटीई श्रेणी के अंतर्गत प.ऊ.के. विद्यालय _____, के बालवाटिका-1 में, प्रवेश देने का अनुरोध करता/करती हूँ। आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

1	छात्र/छात्रा का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में) (आधार कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार)	पहला नाम हिंदी में अंग्रेजी में	मध्य नाम	उपनाम
2	जन्म-तिथि (आधार कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार)	अंको में		शब्दों में
		दिन	मास	वर्ष
3	जन्म-स्थान	गाँव:	तालुका:	
		जिला:	राज्य:	पिन कोड:
4	प्रवेश के वर्ष की 31 मार्च को आयु	वर्ष	मास	दिन
		लिंग: पुरुष/स्त्री		
5	क) पिता का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)			
	ख) माता का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)			
6	अभिभावक/संरक्षक का पदनाम सहित आधिकारिक पता			
7	पूर्ण आवासीय पता			
8	क) विद्यार्थी का रक्त समूह ख) आधार कार्ड नम्बर			
9	अभिभावक का मासिक वेतन			
10	दूरभाष (यदि कोई) और ई-मेल आई डी	कार्यालय: _____	आवास: _____	
		दूरभाष: _____	ई-मेल: _____	
		शिशुगृह: _____	आपातकालीन संपर्क सं. _____	
11	पारिवारिक स्थिति (कृपया उचित स्थान पर X लगाएँ)	परिवार की श्रेणी:	1) केवल एक बालिका संतान <input type="checkbox"/> 2) केवल दो बालिका संताने <input type="checkbox"/> 3) अन्य <input type="checkbox"/>	
12	आधिकारिक अभिलेख के अनुसार कर्मचारी के गृह नगर का विवरण	गाँव: _____	तालुका: _____	
		जिला: _____	राज्य: _____	
		नजदीकी रेलवे स्टेशन: _____	पिनकोड: _____	
13	कक्षा का नाम जिसमें प्रवेश मांगा जा रहा है			

14	विद्यार्थी की मातृभाषा	
15	क्या विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य श्रेणी से संबंधित है? (कृपया जाति और श्रेणी का उल्लेख करें और बच्चे के नाम पर जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें।)	
16	पहचान चिह्न (कोई दो)	1. 2.
17	भाई/बहन का नाम, कक्षा और विद्यालय का नाम जिसमें वे पढ़ते हैं।	
18	कोई अन्य जानकारी जो अभिभावक/संरक्षक देना चाहें।	
19	जिस विद्यालय में प्रवेश मांगा जा रहा है, उससे निवास स्थान की दूरी	
20	क्या विद्यार्थी कमजोर वर्ग से संबंधित है?	

अभिभावक/संरक्षक द्वारा घोषणा

- क) मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य (विद्यार्थी का नाम) _____ के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है तथा मैं भविष्य में क्रमांक 2 पर उल्लिखित जन्म तिथि में कोई परिवर्तन नहीं मांगूंगा/मांगूगी।
- ख) मुझे यह भी जानकारी है कि यदि ऊपर दी गई जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और बच्चे को विद्यालय से निकाल दिया जाएगा।
- ग) मैं परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों एवं परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के नियमों का पालन करूंगा/करूगी।

दिनांक: _____

अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम:

प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक 1, 2, 5, 6, 7 और 12 में दी गई जानकारी सत्यापित की गई है और सही पाई गई है। (यदि लागू हो तो)

संबंधित प.ऊ.वि. इकाई के एओ-III/डीईओ/एपीओ

कार्यालय के उपयोग के लिए

विद्यार्थी का नाम: _____
कक्षा/अनुभाग _____ में प्रवेश दिया गया। प्रवेश संख्या _____ पृष्ठ संख्या _____ रसीद संख्या _____। नाम कक्षा रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक: _____ कक्षा अध्यापक _____ प्रधानाध्यापक/उप-प्रधानाचार्य _____

प्रमाणित किया जाता है कि प्रवेश/विद्यार्थी पंजिका में प्रविष्टि कर दी गई है। संबंधित सहायक _____ प्रधानाचार्य _____

प्राप्त संलग्नक (जहाँ लागू हो, विधिवत सत्यापित)

1. प्रवेश के समय मूल जन्म प्रमाण पत्र और उसकी सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।
2. संबंधित राज्य सरकार/केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/बीपीएल/दिव्यांग वर्ग से संबंधित है। यदि बच्चे के नाम पर यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो प्रवेश के उद्देश्य से माता-पिता में से किसी एक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र को प्रारंभ में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, बच्चे से संबंधित प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर जमा करना होगा।
3. जहाँ लागू हो, सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से बच्चे के विकलांग होने का प्रमाण पत्र। यदि बच्चे की विकलांगता प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, तो प्रमाण पत्र के बिना भी बच्चे को विकलांग माना जा सकता है। हालांकि, अभिभावक को सक्षम प्राधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करके विद्यालय में जमा करने को सलाह दी जा सकती है।
4. माता-पिता के राशन कार्ड की सत्यापित प्रति, जिसमें बच्चे का नाम भी शामिल हो।
5. संबंधित नियोक्ता/राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी माता-पिता का आय प्रमाण पत्र।
6. निवास प्रमाण (अनिवार्य) और विद्यालय से दूरी।सीएचएसएस कार्ड की एक प्रति।
7. नोट: प्रवेश के लिए आवेदन किए जा रहे विद्यालय से निवास स्थान की दूरी के संबंध में अभिभावक द्वारा लिखित स्व-घोषणा भी इस संबंध में स्वीकार की जा सकती है।
8. विद्यार्थी एवं अभिभावक के नाम पर बने आधार कार्ड की एक प्रति।

पावती

क्र.सं. 2026 /

प.ऊ.के.वि. - _____ को श्री/श्रीमती _____ के पुत्र/पुत्री/पाल्य _____ का कक्षा _____ में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

मैंने आवश्यक दस्तावेजों/संलग्नकों की प्रतियों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन कर लिया है, जो इसके साथ संलग्न हैं।

दिनांक: _____

संबंधित सहायक _____